


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

रतन पिता बन्ना भाट वगैराह बनाम किशना पिता हजारी भाट वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 212 आर टी ए मुकदमा नं. 188 / 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
02.05.13	<p>प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण ने मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया गया। वकील प्रार्थीगण की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।</p> <p>अतः ग्राम माताजी का खेडा प.ह. फलासिया तह. जहाजपुर की आराजी नं० 1223 रकबा 0.04 बीघा, आ.न. 1224 रकबा 02.15 बीघा, आ.न. 1346 रकबा 11.12 बीघा कुल किता 03 रकबा 14. 11 बीघा एवं आ. सं 1222 रकबा 0.05 बीघा एवं ग्राम हाडोला प. ह. जामोली की आ.न. 12 रकबा 15.01 बीघा में आगामी आदेश रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थीगण को नोटीस जारी हो। पत्रावली आगामी दिनांक 26.06.2013 को पेश हो।</p>	
	<p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाडा) </p>	
	<p>28/5/13 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। आज भीलवाडा उपखण्ड अधिकारी वकील, अन्य कार्य में व्यस्त हैं। दोहराई है। अतः पत्रावली दिनांक 20/5/13 पेश हो।</p>	
	<p>01/6/13 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। आज भीलवाडा उपखण्ड अधिकारी वकील, अन्य कार्य में व्यस्त हैं। दोहराई है। अतः पत्रावली दिनांक 26/5/13 पेश हो।</p>	
	<p>26/5/13 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। आज भीलवाडा उपखण्ड अधिकारी वकील, अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली दिनांक 26/5/13 पेश हो।</p>	

8-10

दस्तावेज पत्रावली का कार्य करके सुपरी
 आगे की जाय के सम्बन्ध काद साहीब
 हीराम प्रचउर जैसे नाम पर नाम
 दीमा नाम आगे की जाय के कुरद कुरद
 के उपाधिकार नही होने से उक्त 12वें भाग
 13 नंबर का कार्यवाही से सादे काही
 दीमा नाम का कार्यवाही करके जाय
 उक्त दिनांक 14-10-13 से प्रारंभ

उपखण्ड अधिकारी
 जहानपुर (मीलवाडा)

14-10-13

पत्रावली पेश हुई/ वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित हैं/ नहीं
 हैं / आब पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राज्य कार्य में
 व्यस्त हैं/दीये / अपवशा में है।
 उक्त पत्रावली दिनांक 23-6-13 को पेश हो।
 आधी से :-
 रिडर न्यायालय
 उपखण्ड अधिकारी, जहानपुर

23-6-14

पत्रावली पेश हुई/ वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित हैं/ नहीं
 हैं / आब पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राज्य कार्य में
 व्यस्त हैं/दीये / अपवशा में है।
 उक्त पत्रावली दिनांक 24-11-13 को पेश हो।
 आधी से :-
 रिडर न्यायालय
 उपखण्ड अधिकारी, जहानपुर

24-10-14

पत्रावली पेश हुई/ वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित हैं/ नहीं
 हैं / आब पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राज्य कार्य में
 व्यस्त हैं/दीये / अपवशा में है।
 उक्त पत्रावली दिनांक 4-10-14 को पेश हो।
 आधी से :-
 रिडर न्यायालय
 उपखण्ड अधिकारी, जहानपुर

4-10-14

पत्रावली पेश हुई/ वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित हैं/ नहीं
 हैं / आब पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राज्य कार्य में
 व्यस्त हैं/दीये / अपवशा में है।
 उक्त पत्रावली दिनांक 28-12-14 को पेश हो।
 आधी से :-
 रिडर न्यायालय
 उपखण्ड अधिकारी, जहानपुर

28-12-14

पत्रावली पेश हुई/ वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित हैं/ नहीं
 हैं / आब पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राज्य कार्य में
 व्यस्त हैं/दीये / अपवशा में है।
 उक्त पत्रावली दिनांक 12-7-15 को पेश हो।
 आधी से :-
 रिडर न्यायालय
 उपखण्ड अधिकारी, जहानपुर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशाल्य जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो
इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश
द्वारा 2017 ई. के मय में जारी
हुए हुक्म के अन्तर्गत
कोई कार्यवाही नहीं चलाने का
आदेश जारी किया गया है।
अतः न्यायाधीश

द्वारा जारी हुक्म
के अन्तर्गत कार्यवाही

न्यायाधीश
जिला न्यायालय (मिलवाड़ा)